P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XI*July-2015

ग्रामीण विकास में कृषि उद्यमिता की भूमिका : गोरखपुर मण्डल के कृषकों पर एक अध्ययन

धीरज कुमार
शोध छात्र,
वाणिज्य विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

सारांश

ग्रामीण उद्यमिता विकास भारत जैसे विकास"ाील दे"ा के आर्थिक उन्नति का एक माध्यम है। ग्रामीण उद्यमिता विकास एक विकास"ाील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमिता विकास ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उद्यमिता विकास कार्यक्रम को और अधिक तत्परता के साथ लागू किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है अतः कृषि क्षेत्र उद्यमिता विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके दे"ा के आर्थिक विकास को वै"वक स्तर पर विकसित करने में सहायक होता है।

गोरखपुर मण्डल के कृषि क्षेत्र में बहुत सारें सम्भावनाऐं विद्यमान है यहाँ के अधिका"ा ग्रामीण पूर्णरूप से कृषि पर आश्रित रहते है अतः कृषकों को उत्पादन के तरीकों एवं तकनीकों, थोक व फुटकर बाजार, वित्तीय सुविधाओं, यातायात, पैकेजिंग, संवर्द्धन, सलाकार समितियों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करके कृषि उद्यमिता की भावना के द्वारा ग्रामीण विकास से जोड़ा जा सकता है।

कृषकों में एक सफल उद्यमी बनने के लिए निम्नलिखित नौ योग्यताओं का विकास होना आव"यक है– क्रियात्मकता, जोखिम वहन की क्षमता, महत्वकांक्षा, दृष्टिकोण, लोच"ाीलता व विभिन्न स्थितियों को समझने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, व्यावहारिकता, सीखने की तत्परता और अन्तर्व्यक्तित्व के गुण।

उपर्युक्त सिद्धान्त को एडवर्ड डी बोनो (Edward De Bono) की पुस्तक 'लेटरल थिंकिंग प्रिन्"िापल्स' (Lateral Thinking Principles 1990) से लिया गया है जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि क्रिया और कृषि उद्यमिता में अन्तर को स्पष्ट करता है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की योग्यता व प्रबन्ध की योग्यता की आव"यकता और विस्तार का विस्तृत अध्ययन पीटर डी वाल्फ और हरमन स्कूरल्मर माडल (Pieter de Wolf and Hermann Schoorlemmer) के आधार पर किया गया है।

प्रस्तुत शाध पत्र गोरखपुर मण्डल के सामाजिक व आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में कृषि उद्यमिता की पहचान और उनका वि"लेषण करके ग्रामीण विकास के बाधाओं को कृषकों में उद्यमिता की योग्यता को विकसित करके दूर करने पर बल देता है।

मुख्य शब्द : कृषि उद्यमिता की योग्यता, प्रबन्धकीय योग्यता, कृषकों का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण।

प्रस्तावना

उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में नइ पद्धति तथा परिवर्तन लाने की शक्ति रखता हो। एक कृषि उद्यमी कृषि आधारित व्यापार प्रारम्भ करने वाला, व्यापार को नई दि"ाा प्रदान करने वाला, किसी वर्तमान व्यवसाय को विकसित करने वाला और किसी नई प्रवर्तन क्रिया में भाग लेने वाला होता है। कृषि उद्यमी में जोखिम वहन करने की शक्ति, अवसर का लाभ उठाने एवं विपरित व्यापारिक वातावरण में कृषि व्यापार प्रारम्भ करने की योग्यता होती है। एक सफल उद्यमी व्यापार में सदैव नवीन परिवर्तन लाने के बारे में विचार करता है। एडवर्ड डी बोनो (Edward De Bono's Lateral thinking principles ,1990) ने कृषि उद्यमिता तथा कृषि आधारित कार्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए कृषि उद्यमिता को एक कला बताया है जिसकी वर्तमान दृष्टिकोण में आव"यकता है। ग्रामीण कृषक कृषि कार्य में विकास नहीं कर पा रहे हैं जबकि

कृषि उद्यमी कृषि निर्यात व्यापार से लागातार प्रगति कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण हैं –

1. कृषि एक परम्परागत कार्य है जबकि कृषि उद्यमिता कृषि क्षेत्र में नये विचार उत्पन्न करने की कला है।
2. कृषि में परिवर्तन सीमित होता है जबकि कृषि उद्यमिता में नई पद्धति के अनुसार परिवर्तन सम्भव है।
3. कृषि कार्य का क्षेत्र सीमित होता है जबकि कृषि उद्यमिता का क्षेत्र व्यापक होता है।
4. कृषि कार्य में प्रत्येक स्तर पर सुधार की आव"यकता होती है जबकि कृषि उद्यमिता में इसकी आव"यकता नही होती है।
5. कृषि कार्य का एक नि"चत श्रेणी, क्रम, तथा स्तर होता है। कृषि उद्यमिता की क्रिया में ऐसा नही होता है।

एक कृषक सफल उद्यमी हो सकता है यदि उसमें निम्न गुण हो जैसे स्फूर्ति से भरा हो, विलक्षण व जिज्ञासु हो, निर्णय लेने वाला हो, दृढ़ता हो, दूरद"र्ाी हो, कठिन परिश्रमी हो, नये विचार को अपनाने वाला हो, प्रबन्धन एवं संगठन में सन्तुलन बनाने की योग्यता हो, सही विपणन के अवसर का लाभ उठाने के गुण हो, संसाधन का पूर्ण उपयोग करने वाला हो, और जोखिम वहन करने की योग्यता हो। कृषि उद्यमिता निम्न तीन तत्वों से प्रभावित होती है– आर्थिक स्थिति, संस्कृति और "ाक्षा। चयनित क्षेत्र गोरखपुर मण्डल जो उत्तर प्रदे"ा का एक महत्वपूर्ण मण्डल है म मौजूद पारम्परिक कृषक और कृषि उद्यमियों का सामाजिक आर्थिक वि"लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि कृषकों को सही व्यापारिक वातावरण प्रदान किया जाये, उन्हें उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढ़ांचा मिले, नई तकनीक प्रदान की जाये और समय से वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा मिले तो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और वस्तुओं की सुरक्षा को सुनि"चत किया जा सकता है जिससे कृषकों की आय व जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। कृषि उद्यमिता का विकास कृषकों में "ाक्षा और प्र"ाक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। कृषकों की योग्यता और सामर्थ्य में लगातार व उचित विकास की आव"यकता होती है जिससे वे आत्म शक्ति, निर्णय शक्ति, समस्याओं के समाधान की योग्यता, अवसरों का लाभ उठाने की योग्यता, उपभोक्ता–माँग दृष्टिकोण की योग्यता और आत्म वि"वास की योग्यता आसानी से प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदे"ा का लगभग एक तिहाई गेहूँ का उत्पादन गोरखपुर मण्डल में होता है इसी प्रकार लगभग 40 प्रति"ात गन्ने का उत्पादन भी यहीं पर होता है। कृषकों को फर्म प्रबन्धन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जानकारी की आव"यकता है जिसमें नियोजन आर संगठन भी मौजूद होते हैं। ग्रामीण उद्यमियों को प्राथमिक कृषि के तकनीकों और विधिओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की आव"यकता है जैसे उत्पादन, फसल कटाई प्रक्रिया, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, वित्तीय सेवाऐं, यातायात, संवेष्ठन, प्रोत्साहन एवं सलाहकार सेवाऐं आदि।

1.1 अध्ययन का उद्देश्य

1. कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में कौ"ाल विकास के अवसरों व बाधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
2. ग्रामीण विकास में कृषि उद्यमिता प्रतिरूप की आव"यकता और महत्व के बारे में अध्ययन करना।
3. कृषकों को एक सफल कृषि उद्यमी बनाने क प्रोत्साहन हेतु एक नई प्रतिरूप का विकास करना।

1.2 भारत में कृषि उद्यमिता के प्रोत्साहन की आवश्यकता

परे वि"व में मुख्य रूप से 15 प्रकार की ऋतुऐं पाई जाती है हिमालय के दक्षिणी प्रायदीप गर्म होकर पिघल रहें है जिससे पूरे भारत के भारी वर्षा वाले क्षेत्र भी रेगिस्तान जैसे बन रहे है। दे"ा में 20 प्रकार की कृषि से सम्बन्धित प्रादे"ाक ऋतुऐं और वि"व के लगभग 60 में से 46 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत पौधों, जानवरों, कीड़े मकौड़ों, सूक्ष्म जीवों के मध्य जैव विविधता का केन्द्र बिन्दु है। यहाँ पूरे वि"व के 17 प्रति"ात जानवर, 12 प्रति"ात पौधे और 10 प्रति"ात मछली के उत्पाद सम्बन्धित संसाधन पाये जाते है। हाल के कुछ वर्षो से भारत में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन आया है जैसे– उद्यान विद्या (फल, सब्जी, आभूषण से सम्बन्धी फसल, दवाईयों और प्रसाधन सम्बन्धी पौधे तथा मसाले) खेती की फसल (नारियल, काजू, बादाम व काफी) और सम्बन्धित क्रियाऐं। राष्ट्र में बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी की समस्याऐं वि"ाषकर ग्रामीण सामान्य व्यक्तियों में मौजूद हैं। भारत की दो तिहाई जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। कृषि क्षत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर कृषकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है।

2. कृषि उद्यमी की योग्यता के स्तर

कृषि उद्यमियों के योग्यता का निर्धारण उनके द्वारा कृषि व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों का सामना करने एवं उचित निर्णय लेने से है। ग्रामीण कृषकों में उद्यमिता के गुणों का विकास विभिन्न प्र"ाक्षणों के द्वारा संभव है। कृषकों में उद्यमिता की योग्यता का विकास विभिन्न प्रकारों जैसे– EDC सेल, वि"वविद्यालयों व अन्य संस्थाओं में व्याख्यानों, कार्य"ाालों, प्रद"ानियों और सेमिनारों के द्वारा प्रदान किया जाता है। कृषि उद्यमियों के योग्यता का वर्णन निम्न स्तरों पर कर सकते है–

1. **प्राथमिक स्तर** : प्रथमिक स्तर में निम्न योग्यताओं को सम्मलित किया जाता है– कृषि भूमि के बारे में सामान्य जानकारी, कृषि से सम्बन्धित औजारों के बारे में जानकारी, प्रभाव"ााली व्यवहार, समूह का निर्माण करने की योग्यता, प्रतिस्पर्धा का स्तर, जोखिम उठाने एवं व्यावसायिक स्वतन्त्रता की इच्छा।
2. **मध्यम स्तर** : इस स्तर की निम्न योग्यतायें हैं– कठिन कार्यो को करने का मनोबल, ऋण की व्यवस्था करना, आगतों व संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फर्म की स्थापना करना, तकनीकों का उचित प्रयोग, मूल्य निर्धारण करना, कार्य की रूपरेखा बनाना।
3. **उद्यमिता की योग्यता** : व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कृषकों में निम्न उद्यमिता की योग्यता

होनी चाहिए– पे"ावर योग्यता, तकनीक एवं उत्पादन प्रबन्ध की योग्यता, वित्तीय एवं प्र"ाासनिक अवसर के लाभ प्राप्त करने की योग्यता, व्यापार के अवसरों को तलासना व उनका लाभ प्राप्त करना, रणनीति की योग्यता, व्यापारिक रणनीति में विकास करना, व्यक्तिओं से व्यवहार और सहयोग की योग्यता। उक्त योग्यताओं को निम्न तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

तृतीय स्तर की योग्यता का विभाजन (तालिका रूप में)

क्र. सं.	श्रेणी	योग्यता
1	पे"ाावर योग्यता	a. पौधों व प"ाुओं के उत्पादन बढ़ाने की योग्यता b. तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने की योग्यता
2	प्रबन्धकीय योग्यता	a. वित्तीय प्रबन्ध की योग्यता b. मानव संसाधन प्रबन्ध की योग्यता c. उपभोक्ता प्रबन्ध की योग्यता d. सामान्य नियोजन की योग्यता
3	अवसर की योग्यता	a. व्यापारिक अवसर की जानकारी प्राप्त करना b. बाजार और उपभोक्ता की जानकारी c. व्यापारिक अवसरों पर ध्यान केन्द्रित d. नवीन प्रवर्तन की योग्यता e. जोखिम प्रबन्ध की योग्यता
4	रणनीति की योग्यता	a. प्रतिपूष्टि को प्राप्त कर निर्णय लेना b. प्रतिक्रिया की योग्यता c. प्र"िाक्षण व विकास की योग्यता d. भावनात्मक योग्यता e. लक्ष्य निर्धारण की योग्यता f. निर्णय लेने की रणनीति की योग्यता g. नियोजन रणनीति की योग्यता
5	सहयोग व व्यवहार की योग्यता	a. सम्बन्धित कृषकों, फर्म का सहयोगी होना b. सम्पर्क की योग्यता c. समूह के साथ कार्य करने की योग्यता d. मार्गद"ाक की भूमिका की योग्यता

Source: Exploring the significance of entrepreneurship in agriculture by Pieter de Wolf and Hermann Schoorlemmer. Quoted in Global Journal of Advanced Research, vol. 2, issue-2. Feb., 2015, P.53.

व्याख्या

प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से ग्रामीणों में उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव किया जाये जिससे उनमें उद्यमिता की योग्यता को अपनाने की शक्ति विकसित की जा सके। वर्तमान समय में विभिन्न कृषकों, कृषि व्यापार से सम्बन्धित लोगों, शोधार्थियों और सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की योग्यता को आव"यक माना गया है। उद्यमिता विकास के लिए कृषि कार्य की प्रक्रिया पर ध्यान देना आव"यक है क्योंकि इसी के आधार पर ग्रामीणों में उद्यमिता का विकास किया जा सकता है।

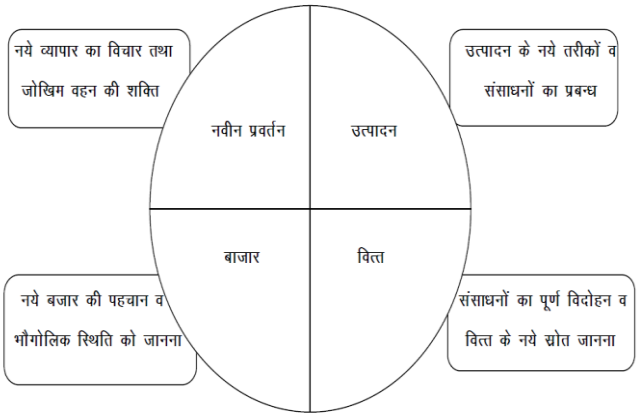

तालिका 1 : कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के आधार पर ग्रामीण विकास का प्रतिरूप

Source- Edited by Christie Rudmann, Specific targeted research project SSPE-CT-2005-006500

3. गोरखपुर मण्डल में उद्यमिता विकास के अवसर व चुनौतियाँ

उद्यमिता विकास का असाधारण लाभ अर्थव्यवस्था के साथ–साथ पूरे समाज पर पड़ता है। भारतीय बाजार के निर्यात व्यापार की प्रतिस्पर्धा में भी यह सहायक है। वर्तमान समय में 'मेक इन इन्डिया' के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। केन्द्र व राज्य सरकार ने उद्यमिता विकास के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण किया है। गोरखपुर मण्डल उत्तर प्रदे"ा राज्य का एक हिस्सा है और यहाँ अनेक प्रकार के अवसर विद्यमान है। यहाँ पर मिश्रित संस्कृति, धर्म, प्राकृतिक संसाधन और विभिन्न प्रकार की उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यह मण्डल 10 वर्षों से लागातार 6 प्रति"ात की दर से वृद्धि कर रहा है। यहाँ अनेक प्रकार की उत्पादकीय मिट्टी पाई जाती है साथ ही साथ कृषि कार्य के सहायक ऋतुऐं भी मौजूद हैं। इस मण्डल के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का वि"ोष योगदान है। पूरे उत्तर प्रदे"ा में सबसे अधिक गन्ने व गेहूँ का उत्पादन यही पर होता है। यहाँ की मुख्य फसल है– धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, सरसों, मूँगफली, चना व मटर। कृषि से सम्बन्धित उद्योग के लिए यहाँ अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता है जो कि व्यापार के लाभदायकता की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदे"ा में सबसे अधिक है। विनियोक्ताओं व उद्यमियों के लिए गोरखपुर मण्डल एक समृद्धि व उन्नति का क्षेत्र है। गोरखपुर मण्डल में अनेक प्रकार के उद्योग विद्यमान है। यहाँ का मुख्य उद्योग हथकरघा उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल मिल उद्योग, चीनी उद्योग है। अध्ययन और निरीक्षणों के आधार पर उद्यमिता विकास में निम्नलिखित कमी की पहचान होती है–

1. कृषकों को उद्यमिता की योग्यता के बारे में बहुत कम जानकारी है।
2. उद्यमिता विकास के बारे में कृषकों को उचित ि"ाक्षा व प्रि"ाक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

गोरखपुर मण्डल के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में विकास की दर 5.3 प्रति"ात है जो कि प्राथमिक क्षेत्र में 5.4 और राष्ट्रीय स्तर पर 4 प्रति"ात है। उत्तर प्रदे"ा में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु इस मण्डल में द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि लगभग राष्ट्रीय स्तर के बराबर हुई है तथा तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि इससे कम है। इस प्रकार से कृषि और कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में वृद्धि बहुत कम दर से हो रही है। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को आव"यक कदम उठाने चाहिए। गोरखपुर मण्डल के आर्थिक विकास की दर कृषि और कृषि से सम्बन्धित कार्य पर आधारित है। जैसे बागवानी, जानवर पालन व डेयरी। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करके ही ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद अज्ञानता व अि"ाक्षा के कारण ही गरीबी विद्यमान है। भारतीय कृषकों के विकास की सबसे मुख्य बाधा यहाँ अवसंरचनात्मक ढ़ांचें की कमी तथा सिचाई की उचित व्यवस्था का न होना है साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का कम प्रयोग, ऋतुओं में परिर्वतन, माँग और पूर्ति में असंतुलन, कृषि कार्य में आव"यक वस्तुओं का महंगा होना, जनसंख्या वृद्धि का दबाव तथा व्यापार का विभाजन ऐसी समस्यायें विद्यमान हैं। वर्तमान में वै"वक रूप से कृषि क्षेत्र में अनाजों और कृषकों के लाभदायकता में वृद्धि से सम्बन्धित क्रियाओं को किया जा रहा है। कृषकों को उत्पादन के कीमतों व लाभ में वृद्धि के बारे में पूर्ण सूचनाऐं प्राप्त होनी चाहिए जो कि कृषि उत्पादन के तकनीक के साथ साथ कृषि कार्य से सम्बन्धित क्रियाओं मे भी होनी आव"यक है। साथ ही उचित लाभदायक बाजार, मूल्य निर्धारण की जानकारी और व्यापार के विकास से सम्बन्धित आव"यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। भारत में, कृषि क्षेत्र के विकास एवं सम्बन्धित क्षेत्र के विस्तार की भूमिका को कृषि क्षेत्र में हो रहे विनियोग की वृद्धि से पहचाना जा सकता है। राष्ट्रीय योजना आयोग के ग्यारहवी और बारहवी पंचवर्षीय योजना में यह विचार स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण विकास के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार आव"यक है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन की कमी को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में उपस्थित अज्ञानता को दूर करना आव"यक है। स्रोत :(Planning Commission 2001, 2005, 2006).

कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, विनियोग और सेवाओं के बावजूद इनका विकास नहीं हो पा रहा है। सरकारी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय शोध संस्थान की सेवाओं का विस्तार और सहयोग, गैर सरकारी कार्यक्रमों का विस्तार आदि की पहुँच ग्रामीणों तक बहुत धीमी है। (NSSO 2005). राष्ट्रीय अभिकल्प शोध सस्थान 2003 के शोध के अनुसार 60 प्रति"ात कृषकों के पास पिछले कुछ वर्षों से कोई भी कृषि कार्य से सम्बन्धित नई तकनीक की जानकारी नही है। जिन प्रगति"ाील कृषकों (16 %) के पास जानकारी है वह भी उन्होंने मध्यस्थों के कार्यों का अनुसरण करके ही प्राप्त की ह। अन्य कृषक जिन्हें कुछ तकनीकी जानकारी प्राप्त है उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। (NSSO 2005). गोरखपुर मण्डल के कृषि क्षेत्र में उद्यमिता की योग्यता वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग के माँग के अनुसार नहीं है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर सामान्य प्रतिस्पर्धा तथा उद्यमिता की प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध के बारे में आधारभूत ज्ञान की कमी है। प्रतिस्पर्धा का उद्यम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। Malaysia (Ong & Ismail 2008),Hong Kong (Man et al. 2008), India (Bhardwaj et al. 2007), and Punjab, India (Batra et al. 2003) ने इन तथ्यों पर अध्ययन किया और निम्न बातों पर ध्यान दिया– आन्तरिक सुधार करते हुए निर्धारित उद्दे"यों को प्राप्त करने की आव"यकता (Ong & Ismail 2008), उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना (Man et al. 2008) प्रबन्धकीय सहयोग करना (Bhardwaj et al. 2007) आदि क्रियाओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा के लाभों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह निष्कर्ष पूर्व में शोध किए गये क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सकता है पर गोरखपुर मण्डल में इसे लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की आव"यकता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति व सभ्यता विद्यमान है जो कि एक व्यापार के प्रतिस्पर्धा के लाभों को प्रभावित करती है। (Dart et al. 1990 & Swierczek & Jatusripitak 1994). प्रस्तुत शोध पत्र मौजूदा उद्यमिता विस्तार कार्यक्रम की प्रगति, छोटे कृषकों तक इनको पहुँच और इनका ग्रामीण विकास पर प्रभाव के वि"लेषण का भी अध्ययन करता है। पूर्व में किये गये अध्ययन का वि"लेषण करने से प्राप्त परिणाम बताते है कि इनका प्रयोग केवल सैद्धान्तिक रूप में किया गया है वास्तव में इनका क्रियात्मक रूप में प्रयोग होना चाहिए ताकि छोटे कषकों को विकसित किया जा सके। कृषकों की कार्यक्षमता के विकास से सम्बन्धित बातों का उल्लेख राबे Raabe (2008) ने भी किया है। कृषि आधारित उद्योगों के विकास कार्यक्रमों का निष्पादन क्रियात्मक रूप से बहुत धीमी गति से हुआ है यह समस्या भारत के साथ–साथ पूरे वि"व की है। इस क्षेत्र में विनियोग करने पर जोर देने की आव"यकता है। (Birkhaeuser, Evenson, and Feder 1991; Davis 2008).

कृषि आधारित क्षेत्रों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम को विकसित करने के महत्वपूर्ण कदम :–

1. सम्भावित उद्यमियों की पहचान व उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना
2. सम्भावित उद्यमियों में से जागरूक उद्यमियों की नियुक्ति
3. कृषि आधारित उद्यमिता विकास के लिए प्रि"ाक्षण देना
4. कार्य की रूपरेखा तथा वस्तुओं के चयन में सहायता व दि"ानिर्दे"ा देना
5. विभिन्न संसाधनों को क्रिया"ाील करने में सहायता प्रदान करना

6. उद्यम स्थापना से सम्बन्धित संगठनात्मक सहायता प्रदान कराना
7. कार्यों का अनुसरण करना

भारत में कृषि उद्यमिता का महत्व

कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 24.2 प्रति”ात व निर्यात क्षेत्र में 15.2 प्रति”ात का योगदान देता है तथा दे”ा के 58.4 प्रति”ात श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करता है। भारत में कृषि उद्यमिता के महत्व को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है

1. कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र है क्योंकि इसका सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रति”ात तथा लगभग 13 प्रति”ात निर्यात व्यापार की आय में हिस्सेदारी है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की लगभग 25 प्रति”ात हिस्सेदारी है इसलिए यह क्षेत्र उद्यमियों के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस क्षेत्र में लाभ के अवसरों की असीम संम्भावनायें विद्यमान हैं।

3.1 उद्यमियों की समस्यायें व चुनौतियां

(क) वित्त की कमी : ग्रामीण उद्यमियों की सबसे मुख्य समस्या वित्त की कमी का होना है, वि”ोषकर वर्तमान वि”व मंदी के समय में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय”ाक्ति की बहुत कमी होती है इसलिए उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है। व्यापार स्थापना में वित्तीय संस्थाओं का योगदान अल्प होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की प्राप्ति का मुख्य स्रोत ऋण है जो ग्रामीण बैंक, जमीदार व साहूकार द्वारा दिया जाता है तथा इनके द्वारा प्रदान किये ऋण पर ब्याज बहुत अधिक होता है। सरकार ने इस समस्या के निवारण के लिए अनेक योजनाओं की स्थापना की है परन्तु उद्यमियों की वित्तीय आव”यकताओं की पूर्ति यह पूर्णरूप से नही कर पा रहे हैं। ग्रामीण उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई हैं जैसे NABARD एवं Small Scale Industry development bank of India (SIDBI). राज्य स्तर पर State Financial Corporation (SFC) and State Industrial Development Corporation (SIDC) जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है जो ग्रामीण उद्यमियों की मदद कर रहे हैं। ये संस्थाऐं नई उद्यम की स्थापना तथा उनकी आव”यकता पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं परन्तु इनके ऋण देने के नियम व शर्तें बहुत कठिन होती हैं जिससे बहुत सारे उद्यमी इनसे वित्तीय सहायता लेने से वंचित रह जाते हैं।

(ख) अवसंरचनात्मक संरचना की कमी : ग्रामीण उद्यमियों के विकास में धीमी वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण अवसंरचनात्मक संरचना की कमी है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक संरचना सम्बन्धित किये गये सुधार कार्य उद्यमियों को लाभ पहुँचाने में सफल नही हो पा रहे हैं।

(ग) जोखिम : ग्रामीण उद्यमियों में जोखिम वहन करने की क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि उन्हे वित्तीय स्त्रोत की जानकारी व बाहरी सहायता आव”यक मात्रा में प्राप्त नही होती है।

(घ) विपणन और पतिस्पर्धा की समस्या : ग्रामीण उद्यमियों को बड़े व्यावसायिक संगठन से विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या बड़े उत्पादनकर्ताओं से होती है उनके ब्राण्डिड उत्पाद के समक्ष ग्रामीण उद्यमियों के उत्पाद नहीं टिक पाते हैं।

(ङ.) प्रबन्ध की समस्या

1. **तकनीक ज्ञान की कमी**– ग्रामीण क्षेत्रों में संदे”ावाहन की तकनीक पूरी तरह से विकसित नही हो पायी है। उद्यमियों को नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त नही हो पाती जिससे वह वस्तुओं के उत्पादन तथा विक्रय में शिथिल हो जाते हैं। उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं, योजनाओं और नीतियों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नही हो पाता।
2. **वैद्यानिक नियम व कानून**– ग्रामीण उद्यमियों के अ”ाक्षित व जानकारी के अभाव के कारण उन्हे उद्यम स्थापना आदि के बारे में वैधानिक कार्यवाही की जानकारी की कमी होती है।
3. **संसाधनों की उपलब्धता**– उत्कृष्ट प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति करना ग्रामीण उद्यमियों का सबसे कठिन कार्य है साथ ही साथ कच्चे माल को रखने के लिए उनके पास उचित स्थान की भी कमी होती है।
4. **तकनीकी ज्ञान की कमी**– ग्रामीण उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान की कमी होने के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। तकनीकी प्र”ाक्षण व विस्तार सेवाओं की कमी ने ग्रामीण उद्यमिता के विकास को अवरूद्ध किया है।
5. **उत्कृष्ठ वस्तुओं के उत्पादन**– ग्रामीण उद्यमियों की एक अन्य समस्या उत्कृष्ठ वस्तुओं के उत्पादन की है इसका मुख्य कारण मानक आधारित संयत्र की कमी, नई तकनीक व अच्छे गुणों से युक्त कच्चे माल की प्राप्ति का न होना है।
6. **ग्रामीणों में निम्न योग्यता स्तर**– ग्रामीण उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को प्राप्त करना है। कर्मचारियों को प्र”ाक्षण देने की आव”यकता होती है जो बहुत कठिन कार्य होता है क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी अ”ाक्षित होते है तथा उन्हें प्र”ाक्षण देने की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं।

3.2 उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास एवं सुझाव :–

बहुत सारे संगठन इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे– IFCI, ICICI, SIDBI, NABARD आदि। विपणन समस्या का निवारण वितरण माध्यमों में सुधार से सम्बन्धित है जैसे मूल्य निर्धारण, वस्तु संवर्द्धन आदि। ग्रामीण उद्यमियों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने की आव”यकता है–

1. **वित्तीय संस्थाओं की स्थापना**: वित्तीय संस्था व बैंक एक वि”ोष कोष को स्थापना करे जो उद्यमियों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान कर सके।
2. **ब्याज की कम दर** : ग्रामीण उद्यमियों को कम ब्याज और आसान भुगतान पद्धति पर वित्त प्रदान कराना आव”यक है ताकि वे अपनी आव”यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके।

3. **कच्चे माल की प्राप्ति** : ग्रामीण उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर आसान तरीकों से कच्चें माल की आपूर्ति होनी चाहिए। सरकार द्वारा उद्यमियों को कच्चें माल की खरीद पर आर्थिक सहायता (Subsidy) भी प्रदान करना चाहिए।
4. **प्रशिक्षण की सुविधा** : ग्रामीणों में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना प्रशिक्षण के वे उद्यम को चला नहीं सकते। वर्तमान समय में आर्थिक रूप से कमजोर उद्यमियों को सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। FICCI, (NGOs) Lions Clubs, Rotary Clubs और अन्य विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।
5. **विपणन क्षेत्र में सहकारिता** : ग्रामीण उद्यमियों को विपणन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सहकारिता की भावना से सहयोग प्रदान करना चाहिए। ग्रामीण उद्यमियों को उचित मूल्य पर माल की खरीद व पारिश्रमिक के अनुसार वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

4. ग्रामीणों में कृषि उद्यमिता के विकास के लिए एक वैकल्पिक प्रतिरूप की स्थापना :–

उपर्युक्त दिये गये समस्याओं के आधार पर कृषि व्यवसाय क क्षेत्र में उद्यमिता की भावना जागृत करने तथा कृषकों को लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं–

1. **वित्तीय जोखिम में सहायता** : बीमा कम्पनियों को उद्यमियों के उत्पाद का बीमा ऋतुओं को ध्यान में रख कर सूक्ष्म प्रकार से करना चाहिए ताकि उद्यमियों को उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने में कोई परेशानी न हो।
2. **वित्त के साथ–साथ गैर वित्तीय सेवा देना** : ग्रामीण उद्यमियों को उनके उत्पादन तथा लाभ में वृद्धि के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा विपणन व अन्य सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है।
3. **आधारभूत सुविधा** : ग्रामीण उद्यमियों के लिए वैधानिक व व्यावसायिक नियमों में आवश्यक छूट प्रदान करना चाहिए और आर्थिक सहायता आदि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
4. **वित्तीय संस्थाओं द्वारा पत्रिका का निर्गमन** : ग्रामीण उद्यमी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा प्रदान कि जा रही सेवाओं, वित्तीय उत्प्रेरणाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय–समय पर कृषि उद्यमियों हेतु पत्रिकाओं का प्रसारण करना चाहिए।
5. **आधुनिक भुगतान की सुविधा** : वित्तीय संस्था व बैंक ग्रामीण उद्यमियों से इलेक्ट्रानिक– भुगतान आदि करने पर सुविधा शुल्क वसूल करते है। इसलिए बैंक व वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण उद्यमियों तक आसानी से पहुँच बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
6. **शाखा विहीन बैंकिंग सुविधा** : इस तकनीक के द्वारा बैंकिंग व्यवहार आसानी से और कम लागत में होता है जिससे वित्तीय सेवा प्रदाता और ग्राहक दोनों को सुविधा होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विहीन बैंकिंग सुविधा प्रदान करना चाहिए।
7. **नवीन तकनीक का प्रयोग** : ग्रामीण उद्यमी को कृषि उद्यम के लिए नवीन तकनीक की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने उद्यम से सम्बन्धित कार्यों जैसे नये ग्राहक की खोज, तथा उत्पादन कार्य में सुधार आदि में नयी तकनीकों का प्रयोग कर एक सफल उद्यमी बन सके।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि उद्यमियों को समर्थन योग्य प्रतिरूप प्रदान करना –

कृषि उद्यमियों को वित्तीय यहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक विशेष प्रतिरूप की आवश्यकता है। सामाजिक और आर्थिक गतिरोधों को कम करने के लिए भी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा एक प्रतिरूप विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण उद्यमियों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

References

1. Acharya, S.S., (2007). “Agribusiness in India: some facts & emerging issues, Agricultural Economics Research Review’’, vol. 20 (conference Issue) pp 409-424.
2. Chengappa, P.G., Achoth, L., Mukherjee, A., Reddy, B.M.R.,Ravi, P.C. and Dega, V., +-(2007) “Evolution of food retail chains in india, in agricultural Diversification and Smallholders in South Asia’’, edited by P.K. Joshi, Ashok Gulati and R.Cummings (Jr), Academic Foundation, New Delhi, pp.385-404.
3. Harron, M.H., Shamsudin, M.N., & Latif, I. A. (2001). “Challenges for Agribusiness: a Case for Malaysia. International Symposium on Agribusiness Management towards Strengthening Agricultural Development and Trade’’, 388-400. Doi: ISBN 974-657-555-4.
4. Punjabi, M. (2007). “Emerging Environment for agribusiness and Agro-industry Development in India: Key issues in the way forward’’, New Delhi: Food and Agricultural Organization of the United Nations.
5. Sridhar, G. and Ballabh, V., (2007). “Indian agribusiness institutions for small farmers: Role, issues and challenges. In V. Ballabh (Eds.) Institutional alternatives and governance of agriculture’’, (pp. 311-328). New Delhi: Academic Foundation.
6. Mehra Kavita (2002), “Entrepreneurial spirit of the Indian farmers- National Institute of Science Technology and Development studies’’, New Delhi India-Ownership and copyright Springer-Verlag Limited, AL & Soc. (2002) 16:112-118. (AL& Society).